इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2012—माघ 11, शक 1933

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र. एफ-4 (A)-01-2012-ए-सोलह.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (ए) 3-2008-ए-सोलह, दिनांक 1 मई, 2009 को अधिक्रमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री वल्लभ कड़िया, संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (मुख्यालय), मध्यप्रदेश, इंदौर को अन्य आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य के लिए ''मुख्य कारखाना निरीक्षक'' नियुक्त करता है.

No. F-4-(A)-01-2012-A-XVI.—In Supersession of this department Notification No. F-1 (A) 3-2008-A-XVI, dated 1st May 2009 and in exercise of power conferred by Sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948). State Government hereby appoints until further order Shri Vallabh Kadia, Joint Director, Industrial Health and Safety (Head Quarter), Madhya Pradesh, Indore as "Chief Inspector of Factories" for the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुखराज मारू, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.